4

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
गुलामे ताजुश्शरीअह .सुन्नी क़ादरी रज़वी हन्फ़ी बरैलव
मुहम्मद अब्दुर्रहीम खान क़ादरी रज़वी जमदा शाही ज़िला बस्ती यू पी 272002
ख़तीब व इमाम(मोती मस्जिद गुलाबरा ज़िला छिन्दवाड़(मयप्रदेश)
Jamdashahi.blogspot.com_ khanjamdashahi@gmail.com Mob: 7415066579

फ़र्जी क़ब्रें और मजारें

भाईयो! आजकल ऐसा काफी हो रहा है कि पहले वहाँ कुछ नही था अब बग़ैर किसी मुर्दे को दफन किए क़ब्र व मज़ार बना दिया गया और पूछो तो कहते है कि ख्वाब में बषारत हुई है फलां बुजुर्ग ने ख़्वाब में हमसे कहा हम यहाँ पर दफन हैं हमारा मज़ार बनाओ कहीं किसी बुजुर्ग की छड़ी वगैरह या उनके मजार की कोई ईंट ला कर दफन कर दी और मज़ार बना दिया । सही बात यह है कि इस तरह क़ब्र व मजार बनाना और उन पर हाज़िरी देना, फातिहा पढ़ना, उर्स करना व चादरें चढ़ाना सब हराम है यह एक तरह से मुसलमानों को धोखा देना और इस्लाम को बदनाम करना है जिन लोगों ने ऐसे मज़ारात बना लिए हैं उनको उखाड़ देना और उनका नाम व निषान ख़त्म कर देना बहोत ज़रूरी है। आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ॉ बरैलवी लिखते है: " फर्ज़ी मज़ार बनाना और उसके साथ असल का सा मुआमला करना नाजाइज़ व बिदअत है और ख़्वाब की बात खिलाफे षरअ् उमूर में मस्मूअ नही हो सकती ।" (फतावा रजवीया, जिल्द 4, स0 511 मत्बूआ मुबारकपुर)। और आजकल बुजुर्ग व वली तो बहुत कम बल्कि न होने के बराबर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अपने अपने बाप–दादाओं के आलीषान मज़ारात बनाने और धूम–धाम से उर्स करने की होड़ सी चल गई है। अल्लाह के महबूब बन्दों की यादगारों को क़ाइम रखने के हम भी क़ाइल हैं लेकिन इन मौजूदा हालात से यह खतरा ज़रूर लग रहा है कि कहीं आने वाले वक़्त में कुछ लोगों का मज़हबे इस्लाम कही सिर्फ मज़ार बनाना ही न रह जाए सज्दा करना चूमना और बोसा देना षरीअते मुहम्मदी में अल्लाह तआला के एलावा किसी को भी सज्दा करना कम अज़ कम हराम ज़रूर है और सज्दे का मानी व मतलब किसी के सामने माथा टेकना है यह मज़हबे इस्लाम में अल्लाह तआला के अलावा किसी के लिए जाइज़ नहीं। उसी का हक़ है कि बन्दों की पेषानी उसके लिए झुके और ज़मीन पर रखी जाए। उसी का हक़ है कि बन्दों की षान नही है कि वह खुदाए तआला के अलावा किसी को सज्दा करे हदीसे पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैह वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह तआला के अलावा किसी को किसी के लिए सज्दा करने का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि वह अपने षौहरों को सज्दा करें। (तिर्मिज़ी जिल्द1,स0138 मिष्कात स0 281) ....लिहाज़ा कभी किसी पीर व फक़ीर को या उनके मज़ार को सज्दा नही करना चाहिए यानी उनके सामने माथा ज़मीन पर नही रखना चाहिए । रहा खास मज़ार को चूमना और बोसा देना तो यह अगरचे हराम व गुनाह तो नहीं है लेकिन ज़्यादा अच्छा और बेहतर भी नहीं है उलमाए अहले सुन्नत ने इस से भी मना फरमाया है और उसको चूमने चिमटने लिपटने और बोसा देने को अदब में कमी बताया है ज़्यादा अदब और बेहतर और उम्दा तरीक़ा यह है कि कुछ दूर खड़े हो कर फातिहा पढ़े और अल्लाह तआला से दुआ मांगे और चला आए। भाईओ ! अल्लाह वालों के मज़ारात को चूमने उसको बोसा देने और उन से चिमटने लिपटने से ज़्यादा जरूरी इन बातों को मानना है जो उन्हों ने तअलीम दी। और जो लोग उनकी बातों पर अमल करते हैं उनको फैज़ व नफअ् ज़्यादा मिलता है छूने चिमटने और चूमने वालों को बहुत कम मिलता है और सज्दे करने वाले को कुछ नहीं मिलता बल्कि उन पर अजाब व गुनाह होता है और उन से अल्लाह भी नाराज़ है और अल्लाह वाले भी।

चाादर .चढ़ाने का मसअला

अल्लाह के महबूब बन्दों के मज़ारात पर चादर चढ़ाना जाइज़ है जो इसे ग़लत कहते हैं वह खुद ग़लत हैं लेकिन उलमा–ए–अहले सुन्नत ने फरमाया है कि जब मज़ार पर चादर चढ़ी हुई हो – और वह भी ख़राब व बोसीदा और पुरानी न हुई हो तो उसके ऊपर दूसरी चादर न चढ़ाई जाए –या फट जाए तो उस को हटा कर या उसके ऊपर दूसरी चादर डाल देने में कोई हर्ज नहीं –हॉ अगर यह पता हो कि वह ज़ाइद चादरें गरीबों मिस्कीनों और मुहताजों परेशान हाल जरूरतमन्दों के काम में आती हैं तो चादर डालने में भी कोई हर्ज नहीं बल्कि यह भी एक तरह की ख़ैरात और सदक़ा है और यह मअलूम है। कि यहॉ की चादरें उन सज्जादा नशीनों और मुजाविरों के काम आती है जो सब मालदार दौलतमन्द हैं तो ऐसे मज़ारों पर चादरें चढाना मालदारों को और मालदार बनाना है ऐसी जगह चादर चढ़ाना हो या उसकी मन्नत मान ली हो तो वहॉ चादर चढ़ाने के बजाए उसकी क़ीमत का कपड़ा किसी ज़रूरतमन्द को बना दे या किसी मरीज़ का इलाज करा दे या मस्जिद मदरसे इमाम या मुअज़्ज़िन को दे दे किसी यतीम बच्चे बेघर आदमी का मकान बनवा दे या मकान बनवाने में उसकी मदद करे और सबका सवाब उन बुर्जुग की रूह को ईसाल कर दे। या दिल में इरादह कर लेने से भी पहोंच जाता है। मुँह से कहना कुछ ज़रूरी नही। (अहकामे [illegible]रीअत मुसन्नेफा आला हजरत बरैलवी, हिस्सा अव्वल, 72 [illegible]शरह सहीह मुस्लिम मौलाना गुलाम रसूल सईदी,जिल्द 2, स0 816।

बुज़ुर्गों के फोटू और उनकी तस्वीरें

किसी भी जानदार का फोटू और तसवीरें खींचना खिंचवाना या साथ इज़्ज़त के उसको घर में रखना हराम है। और बुजुर्गो की तसवीरें और उनके फोटो रखना और भी ज़्यादा गुनाह है क्योंकि इस तरह बुत परस्ती का दरवाज़ा खुलता है पीरों, वलियों, बुजुर्गों की तसवीरों के सामने` सज्दे करना उन पर मालाएं डालना अगर बत्तियां सुलगाना उन्हें चुमना मुसलमानों का काम नहीं है बल्कि यह काफिरों ग़ैर मुस्लिमों बुत परस्तों का काम है अफसोस आज कालिमा पढ़ने वाले एक अल्लाह की तौहीद व इबादत का डंका बजाने वाले मुसलमान अंधे हुए चले जा रहे है